Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
05/01/24	शीघ्र सुनवाई के तहत पत्रावली पेशी में ली गई। प्रा. पत्र पर उभयपक्ष बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 10/01/24 को पेश हो। Prinjal सहायक कलक्टर एवं ... (FT) जोधपुर	
10/01/24	पत्रावली पेश। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक बहस अधि. प्रार्थी - " विश्वकर्मा रियल एस्टेट फर्म द्वारा विवादित भूमि का 3 बीघा 19 बिस्वा ~~क~~ रकबा खरीद किया गया। उक्त भूमि में से अनेक बेचान किये गये। 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि प्रति. सं. 01 को बेचान की गई एवं शेष 9 बिस्वा 11 बिस्वांशी भूमि आज भी फर्म की खातेदारी में प्रति. सं. 01 के साथ सहखातेदारी में दर्ज है। सहखातेदारी भूमि का विभाजन नहीं हुआ है, अतः विभाजन तक इसका बेचान ना हो।" मुताबिक बहस अधि. अप्रार्थी सं. 01 - " विवादित भूमि व्यक्तिगत रूप से खरीद नहीं की गई है, वरन फर्म के द्वारा खरीदशुदा है। Sale deed to Purvang फर्म के द्वारा execute की गई है, जिसमें संयुक्त खातेदारी अथवा विभाजन का वर्णन नहीं है। प्रार्थी फर्म से retire हो चुका है। विवादित भूमि के पूर्व में अनेक बेचान हुए हैं, उन्हें भी पक्षकार बनाया जावे।" अधि. अप्रार्थी की बहस पर अधि. प्रार्थी द्वारा पुनः बहस की गई - " यदि प्रार्थी retirement deed से retire हो गया है तो दूसरा partner कौन है, उसके संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली में नहीं है। पूर्व विक्रेताओं का बंटवारा, तरमीम हो चुके हैं, अतः उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है।"	

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	उपलब्ध दस्तावेजों, शपथ-पत्र, बहस के आधार पर प्रा. पत्र अंतर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी कानून का निस्तारण निम्न प्रकार से किया जाता है- " वर्तमान में विश्वकर्मा रियल एस्टेट फर्म राजस्व रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड खातेदार है। फर्म के भागीदार अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर यह न्यायालय निश्चित नहीं कर सकता है। प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्रार्थी फर्म की ओर से प्रा. पत्र पेश करने हेतु सक्षम है। फर्म खातेदारी के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन फर्म प्रार्थी के पक्ष में है। अतः इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूलवाद जारी की जाती है कि विवादित अराजी में पक्षकार अपना हिस्सा तो बेचान कर सकेंगे, किंतु विशिष्ट भू-भाग दर्शा कर बेचान करना वर्जित रहेगा।" आदेश खुले में सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Priyanka सहायक ... एवं ... मजिस्ट्रेट ... जोधपुर	